न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 56/2017

अनवान :–

1. ईकबाल खां पुत्र गफूरदीन जाति तेली साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. गफूरदीन पुत्र रूकदीन जाति तेली साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कुम्भाराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रामकुमार पुत्र मनफूल जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 सपठित धारा 251ए राजस्थान आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 30.10.17

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक नं0 6 एनटीआर के खाता सं0 9/24 के मु0नं0 80 के किला नं0 14/3 की 0.111 है0 किला नं0 17/2 की 0.080 है0 और किला नं0 25/3 की 0.013 है0 कुल 0.204 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम खाता सं0 33/24 व 25 के मु0नं0 80 के किला नं0 15/7 की 0.049 है0 किला नं0 16/4 की 0.092 है0 किला नं0 25/4 की 0.066 है0 मु0नं0 17/3 की 0.015 है0, किला नं0 24/2 की 0.109 है0 कुल 0.131 है0 नहरी व मु0नं0 83 के किला नं0 5/1 की 0.025 है0 गै0मु0 खाला और 25/3 की 0.013 है0 वाणिज्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से मु0नं0 80 के किला नं0 16/1 की 0.058 है0 17/4 की 0.013है0, 24/1 की 0.012 है0 15/5 की 0.072 है0 17/1 की 0.099 है0 24/5 की 0.030 है0 कुल 0.284 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के नाम मु0नं0 80 के किला नं0 15 व किला नं0 16 व 17 की कृषि भूमि अपने नाम दर्ज है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने – जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है यदि प्रार्थी के अपनी कृषि भूमि में आने – जाने हेतु रास्ता नहीं होने के कारण काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है तथा उक्त कृषि भूमि को उपयोग [illegible] में नहीं ले पा रहा है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि के मु0नं0 80 के किला [illegible]/3 में से 0.015 है0 उतर–दक्षिण मध्य में किला नं0 24/2 में 0.028 है0 दक्षिणी तरफ तथा मु0नं0 25/4 में से 0.022 है0 दक्षिणी तरफ राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)

इकबाल खां बनाम गफुरदीन आदि

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 6 एनटीआर के खाता सं0 53/24 व 25 के मु0नं0 80 के किला नं0 17/3, 24/2 व 25/4 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सरल व सुगम एवं कम दूरी का रास्ता है एवं अप्रार्थीगण ने भी राजीनामा कर प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 सपठित धारा 215ए का स्वीकार किया जाता है तथा चक 6 एनटीआर के मु0नं0 80 के किला नं0 17/3 में से 0.015 है0 किले के मध्य में उतर दक्षिण लम्बाई में किला नं0 24/2 में से 0.028 है0 दक्षिण व मध्य में उतर दक्षिण लम्बाई में और किला नं0 25/4 में से 0.022 है0 पश्चिम तरफ व दक्षिण तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested